निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई॰ए॰एस॰ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 213/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मदन लाल छीपा पुत्र रामस्वरूप छीपा जाति छीपा निवासी 1741 ए प्रभू कालोनी, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रार्थी

बनाम

1. हेमा जायसवाल उर्फ आरती पुत्री भौरी लाल जाति कलाल निवासी ग्राम बस्सी खटीक मोहल्ला, रेल्वे स्टेशन रोड, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. श्रीमती शिप्रा जैन आर॰ए॰एस॰ सहायक कलक्टर बस्सी तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 173/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 154/2024 उनवानी हेमा उर्फ आरती बनाम भौरीलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री शुभम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री गिरधारी लाल सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी 1 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 19.11.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 173/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 154/2024 उनवानी हेमा उर्फ आरती बनाम भौरीलाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई । अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारी लाल सैनी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मिन प्रार्थी ने सोहन लाल से भूमि खरीद नहीं की एवं मिन प्रार्थी के हिस्से की भूमि से अप्रार्थी संख्या एक का कोई लेना देना नहीं है उसके बावजूद अप्रार्थी संख्या एक बे वजह प्रार्थी को परेशान करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या एक जयपुर से बाहर रहती है एवं अप्रार्थी संख्या एक के स्थान पर न्यायालय परिसर मे एक व्यक्ति आता है जो कि अप्रार्थी संख्या एक का मित्र है या पति है इसकी मिन प्रार्थी को जानकारी नही है

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

लेकिन वह आये दिन तहसील परिसर एवं अप्रार्थी संख्या दो के न्यायालय में घूमता रहता है एवं प्रार्थी के मिलने वालों ने अप्रार्थी संख्या दो के परिचित जिसका नाम आशीष है उसके संबंध में लोगों से यह कहते हुये सुना है कि यदि इन लोगो ने मुझे मेरी मन माफिक रकम मुझे नही दी तो ये लोग कितना ही बडा वकील करले एवं कितना ही कानून कोर्ट को बता दे, मैं कोर्ट से अपने पक्ष में ऊंची पहुंच के आधार पर स्टै करवा कर इसमें मोटी रकम एठ कर रहूंगा। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि अप्रार्थी संख्या दो अप्रार्थी संख्या एक के प्रभाव में आकर प्रार्थी के खिलाफ निर्णय पारित कर सकते है इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या दो से न्याय की आशा नहीं है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी के आरोप कपोल कल्पित वं मनगढन्त है तथा उक्त वाद में देरी करने के आशय से झूंठे कथन अंकित कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना व सम्बन्ध सरोकार नही है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा की जा रही कार्यवाही पूर्णत विधिक प्रकिया के तहत की जा रही है। प्रार्थी द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्व भी झूठे गलत एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गथा जो पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य होने से दिनांक 26.09.2024 को खारिज हो गया। अब प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में देरीना करने की नीयत से पुनः यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण के अन्य पक्षकार द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र ब उनवानी मनुकृति बनाम हेमा जयसवाल पेश किया था जो दिनांक 26.09.2024 को खारिज हो चुका है। अब प्रार्थी द्वारा नये पीठासीन अधिकारी के विरूद्व भी यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है। इससे प्रार्थी की प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा स्पष्ट जाहिर होती है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विरूद्व है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)